



KEI Industries Limited

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527
Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2023-24
The Manager,
BSE Limited
Listing Division,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001.

Date: 01.11.2023

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Half year ended on 30th September, 2023. The Company published the advertisement in the following newspapers: -

1. Business Standard (All editions) in English Language on 01.11.2023.
2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 01.11.2023.

This is for the information of the exchange and the members.

Yours truly,
For KEI INDUSTRIES LIMITED

(KISHORE KUNAL)
AVP (Corporate Finance) & Company Secretary

CC:

The National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Division, Exchange Plaza, Plot No.
C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

The Calcutta Stock Exchange Ltd.
The Senior Manager, Listing Division,
7, Lyons Range, Kolkata-700001





ANATOMY OF A DEAL

The Wistron deal can give Tata a global electronics footprint and Apple gets to hedge its geopolitical bets. But there is more to it

SURAJEET DAS GUPTA
New Delhi, 31 October

A year of hectic parleys went by before it could be announced, on October 27, that a Tata Group company would acquire Wistron Corp's India manufacturing business for an estimated \$125 million.

This will make Tata Electronics the first Indian entity to make iPhones for the domestic and global markets. It will join an exclusive club of iPhone assemblers, whose members are Foxconn, Pegatron, and Luxshare, and the outgoing Wistron. The first three are seasoned global players in electronics manufacturing and services (EMS), which involves assembling and manufacturing.

Wistron was the first to begin iPhone assembly in India, in 2017. Later Foxconn and Pegatron started to do it as well. Already 7 per cent of iPhone's global production has shifted to India from China, and the target is to increase it to 20-25 per cent by 2025-26.

According to data from S&P Global Intelligence, Wistron was the second largest exporter of iPhones from India, after Foxconn, and is believed to have invested ₹1,250 crore in setting up the plant. It employed more than 12,000 workers and 90 per cent of its iPhones were exported.

The deal marks the most recent peak in the Tata Group's efforts to align with Apple, the world's most valued company by market capitalisation. For the Cupertino-based technology giant, it furthers the agenda of building a local supply chain in India so it can increase the local value addition in iPhones, something it has committed to increase to 40 per cent at the end of the five-year production-linked incentive (PLI) scheme of the Indian government. Currently, the local value addition in iPhones ranges from 12 to 15 per cent, according to sources.

Apple Inc did not respond to queries from *Business Standard* and the Tata Group said it would not comment on the deal.

China vs India

Apple had tied up with Tata Electronics to supply iPhone enclosures, a component that accounts for 9 to 12 per cent of the total cost of production. After a learning curve of nearly two and a half years to cut rejection rates, the Tata company began to export the India-made enclosures to Chinese assemblers of the iPhone. Now the Wistron deal promises an opportunity for Tata Electronics to acquire a global EMS footprint.

The Tata deal also shows Apple, which sells more than \$205 billion worth of iPhones across the globe, is keen to increase its bet on India. In the next 30 months, based on commitments to the government, it wants to shift 20 to 25 per cent of iPhone assembly from China to India, compared to 7 per cent now. It is keen to broaden its supply chain in India with Indian and non-Chinese players. That is part of the efforts to ensure 50 per cent of iPhone components, in value, are manufactured in the country, not imported.

But it is going to be a tightrope walk for Apple, which currently depends on China for 90 per cent of its production. Most of its supply chain is located in China and it commands a huge share of the domestic market there. In China, iPhone sales are 13 times their sales in India.

With the geopolitical tension that exists between India and China and tacit restrictions on investments by Chinese companies in this country, the US company has been stymied in its bid to bring its Chinese vendors to India. Without that its local value addition in iPhones has been low,

leaving a lot of ground to be covered under the PLI scheme.

A small window, which the Indian government opened by allowing Chinese entry in Indian joint ventures with majority Indian stake, has not taken off, although 14 Chinese iPhone suppliers were given security clearances.

Apple appears to have changed tack now. It has put its focus on building a supply chain based on home-grown and non-Chinese companies, though this is neither easy nor can it be done in a hurry. But it has tasted early success with the Tata Group, which has got its act together on enclosures for the iPhone.

Three years ago, Wistron sold its iPhone-making business in China and Vietnam to Luxshare, a Chinese EMS company. Sources say it was keen on getting the same buyer for its India iPhone operation as well. Luxshare was well-versed with the process of assembling iPhones. But Apple, aware of the Indian reality, decided to intervene and helped Wistron find an Indian buyer.

The iPhone maker is said to be looking to bring manufacturing of two key components, display and camera modules, into India. It had earlier roped in its Chinese vendor, Sunny Ootech, to set up a camera manufacturing facility for iPhones in the country. But that is now on the backburner. Instead, three or four Indian and non-Chinese companies are said to be in the fray.

Global footprint

By FY26, the combined sales revenue of the three iPhone assemblers in India is projected to touch \$45 billion to \$50 billion, or ₹374,000-416,000 crore. That is more than three times Maruti Suzuki's revenues in FY23 and equivalent to a third of the Tata Group's total revenues.

Analysts say Tata Electronics, as one of the three iPhone assemblers in India and also as a manufacturer of enclosures, could become a \$15-billion company in a couple of years or so. That is assuming the three assemblers split the iPhone revenues equally.

At \$15 billion, Tata Electronics will become the country's largest EMS player by far. Dixon Technologies, which is now the largest Indian EMS company, currently makes ₹12,200 crore, or about \$1.5 billion, in annual revenues.

By joining Apple's global supply chain, Tata Electronics will be able to tap into the global market. It is already exporting enclosures to China. Once it begins to assemble iPhones, for which Apple is

expected to help by bringing technical experts to India, it can replicate the model in other parts of the world, much as Foxconn and Pegatron were able to do.

That said, it will not be a cakewalk. "All of Apple's challenges in India will now become Tata's problems, such as taxation and handling labour laws, among others," says the top executive of an EMS company.

Import duties on components into India are generally higher than what other countries, including China and Vietnam, impose.

The EMS executive adds that when a company only supplies components through a contract, the contentious issues are not their headache; for instance, higher duties provide them protection. But for assemblers, higher duties increase the cost of production.

For the government, having an Indian corporate group with the financial strength of the Tata Group in the big electronics play helps. The government's target of hitting \$52 billion to \$58 billion worth of mobile phone exports in FY26 has been faltering because Chinese as well as Indian players

have exported less than anticipated. Apple could fill that gap by raising its exports.

But, as some analysts say, it will require smooth sailing in the policy waters, such as quick visa clearances to Apple's Chinese experts in assembly operations, who can train Tata's technical team. For many

iPhone components, Indian companies that want to be part of the supply chain must buy or collaborate to get technology, some of which could very well come from China. That might require clearances from the government.

Thanks to the big push to exports by Apple's vendors, smartphones have jumped to the top five export items out of India in FY23, based on the harmonised systems code, from ninth place in the previous year. Mobile device makers say if iPhone hits \$22 billion to \$24 billion in exports, smartphones could be among the top four in the exports pecking order.

Clearly, there is more riding on the Wistron deal than the hedging of Apple's geopolitical bets and Tata's global dreams.

BITES OF INDIA

Year	Apple vendors' export value of iPhones from India (₹ cr)	Total value of smartphones exports from India (₹ cr)	iPhone's share of smartphone exports from India (%)	Apple's India revenues (₹ cr)	Apple's India profits (₹ cr)
FY22	11,000	47,800	23	33,381	1,263
FY23	40,000	90,000	45	49,322	2,230
Q1FY24	20,000	29,974	67	NA	NA

Notes:

■ The numbers are based on export value of from Foxconn, Pegatron, and Wistron

■ Wistron is being acquired by Tata Group

Source: ICEA, govt and industry reports, RoC

Apple's iPhone road map in India

► **20-25%** of iPhone global production to be shifted to India by FY26

► **₹45,000-₹75,000 cr** of production value of iPhones on FoB value expected to be assembled in India in FY24 based on the PLI scheme by the three vendors

► **\$22-23 billion** of exports based on FoB value of iPhones targeted in FY26 collectively by Apple's 3 vendors

► **\$28-30 billion** of production based on FoB value targeted by FY26 by the 3 vendors

What Tata gets by acquiring Wistron India plant

► **12,000** employees at peak level working in the factory

► Wistron invested **₹1,250 cr** to set up the plant

► The company exported iPhones worth **\$1.98 billion** in FY23, up from **\$0.71 billion** in FY22, according to S&P Intelligence

► **90%** per cent of Wistron's production is exported

Challenges for Tata-Apple partnership

► **High import duties** on some components, which increase cost of production (Vietnam and China levy no duty)

► **Labour law changes** required to accommodate large factories

► **Frequent tax changes**

KERALA WATER AUTHORITY
e-Tender Notice

Tender No: Re-226/2023-24/SEPHC/M/PA
Jal Jeevan Mission (JMJ)- JMJ- CWSS to Idukki- Karinjikuzhi, Vazhathope, Mariyapuram, Kamakshi, Vathikudy and Vannapuram (Part) Panchayaths in Idukki District- Supply and laying CWGM and Construction of steel tanks at Vannapuram Panchayath Package- 7- General Civil Work.

EMD: Rs. 1,00,000/-
Tender fee: Rs. 8,270/-
Last Date for submitting Tender: 07.11.2023 04:00pm
Phone: 04852835637 Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in
KWA-JB-GL-6-1467-2023-24 Superintending Engineer PH Circle, Muvattupuzha

NATIONAL EGG CO-ORDINATION COMMITTEE
(Non Government Organization)

"MVL HOUSE", 16-A, GULTEKADI, NEAR NISARGA MANGAL KARYALAYA, MARKET YARD, PUNE - 411 037.

ELECTION NOTIFICATION

"ATTENTION TO ALL POULTRY FARMERS AND EGG DEALERS"
"HAVE YOU ENROLLED YOURSELF AS A MEMBER OF NECC?"

If you are a layer farmer having 250 or more birds in your farm or you are an egg dealer handling 12,000 or more eggs per day, you can become an ordinary member of NECC on the payment of requisite fee.

The members list is kept open at the respective Zonal Offices for verification and enrolment during office hours on all working days up to 30th November 2023. Members enrolled upto 30.11.2023 are eligible to participate in the elections, subject to the fulfillment of the Rule 8.2 (i) in the By-laws of NECC, "i.e. An ordinary member who fails to produce before the returning officer of the respective zone the witness of purchase of at least 250 day old layer chicks during the previous 12 months or having handled at least 12,000 eggs on an average per day during the previous three months shall not be eligible to vote or contest in the elections". As decided by the NECC Executive Committee in its meeting held on 30th October 2023, the elections for its Local, Zonal and Executive Committees shall be held between 11th December 2023 and 8th January 2024. The Election Schedule/Program for the respective Local, Zonal and Executive Committee is available at the respective zonal offices.

By order of the Executive Committee
Sd/-
(DR A EZHIL KUMAR)
Chief Election Officer

Place: Pune
Date: 31-10-2023

KEI INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 020
Wires & Cables Phone: 91-11-26818840/26818642. Web: www.kei-ind.com. E-mail Id: cs@kei-ind.com
(CIN: L74899DL1992PLC051527)

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2023

(₹ in Million)

Sr. No	Particulars	STANDALONE RESULTS			CONSOLIDATED RESULTS		
		Quarter ended 30.09.2023	Half Year ended 30.09.2023	Quarter ended 30.09.2022	Quarter ended 30.09.2023	Half Year ended 30.09.2023	Quarter ended 30.09.2022
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1.	Total Income from Operations	19,542.31	37,451.36	16,133.43	19,542.31	37,451.36	16,133.43
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,884.24	3,514.27	1,437.69	1,884.24	3,514.20	1,437.54
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,884.24	3,514.27	1,437.69	1,884.24	3,514.20	1,437.54
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,402.06	2,615.92	1,068.99	1,402.06	2,615.85	1,068.84
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,403.43	2,616.03	1,070.16	1,403.45	2,615.99	1,070.06
6.	Equity Share Capital	180.48	180.48	180.38	180.48	180.48	180.38
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-	-	-
8.	Earning per share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations)	15.54	29.00	11.86	15.54	29.00	11.86
	1. Basic:	15.54	29.00	11.86	15.54	29.00	11.86
	2. Diluted:	15.51	28.94	11.85	15.51	28.94	11.85

Notes:
a. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-Audited Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Un-Audited Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website at www.kei-ind.com.
b. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For KEI Industries Limited
Sd/-
Anil Gupta
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 0006422

Place of Signing: New Delhi
Date: 31st October, 2023

SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED

Registered Office: "Uniworth House" 3A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019
CIN: L55101WB1999PLC090672. Tel No. (91 33) 2283 7964
Website: www.speciality.co.in Email: corporate@speciality.co.in

Extract of Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2023

₹ in Lakhs (Except per share data)

Sr. No	Particulars	Standalone			Consolidated			Standalone		Consolidated		Standalone Year Ended	Consolidated Year Ended
		Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)		
1.	Total Income from operations	9,788	9,465	9,378	9,788	9,465	9,378	19,253	18,375	19,253	18,375	37,497	37,497
2.	Net Profit for the period (before share of loss in Joint venture, and tax)	756	734	1,257	754	734	1,257	1,490	2,767	1,488	2,847	6,223	6,337
3.	Share of loss in Joint venture	-	-	-	52	41	(3)	-	-	93	(41)	-	7
4.	Net Profit / (Loss) before tax for the period	756	734	1,257	806	775	1,254	1,490	2,767	1,581	2,806	6,223	6,344
5.	Net Profit / (Loss) after tax for the period	526	629	1,110	576	670	1,107	1,155	2,571	1,247	2,610	9,558	9,679
6.	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	517	621	1,115	550	680	1,081	1,138	2,586	1,231	2,569	9,565	9,699
7.	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10 per share)	4,756	4,756	4,696	4,756	4,756	4,696	4,756	4,696	4,756	4,696	4,696	4,696
8.	Earnings per equity share (of ₹10/- each)*												
	(a) Basic	1.11	1.33	2.36	1.21	1.41	2.36	2.43	5.47	2.63	5.56	20.35	20.61
	(b) Diluted	1.08	1.29	2.36	1.18	1.38	2.36	2.37	5.47	2.55	5.56	20.24	20.50

*not annualised for quarters

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to make the same available on the websites of the Stock Exchanges on which the Shares of the Company are listed, namely, www.bseindia.com and www.nseindia.com. The full format of the said results are also available on the Company's website www.speciality.co.in.
2 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30th October, 2023.

Place: Mumbai
Date: 30th October, 2023

For and on behalf of the Board For Speciality Restaurants Limited
Anjan Chatterjee
Chairman & Managing Director
(DIN: 00200443)

MAINLAND CHINA | ASIA KITCHEN | Oh! Calcutta | GLOBAL GRILL | RIYASAT | CHOURANGI | CAFE MEZZUNA | HAKA | HOPPOO | EPISODE:THE | BOHORA | Sweet Bengal



कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

DCB BANK

वृत्ति वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे तालिका में वर्णित अनुसार मौजूदा सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नामित ऋणियों, सह-ऋणियों/गारंटियों को बुलाने के लिए नीचे तालिका में वर्णित अनुसार मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी व सह-ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं। एतद्वारा ऋणी, सह-ऋणी/गारंटर और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित अनुसार तिथियों पर उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी, सह-ऋणी/गारंटर व सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी व्यवहार मांग सूचना में वर्णित अनुसार राशि और उदाहरण भावी ब्याज के लिए मैसर्स डीसीबी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	अनुबंध सं.	ऋणी, सह-ऋणी, गारंटियों व कानूनी वारिसों का नाम	मांग सूचना तिथि व राशि	संपत्ति का विवरण	कब्रों की तिथि
1.	DRMBGH200440094	श्री धर्मद और सुशी कृष्णा	17.08.2023 / रु. 12,22,154.83 /- 17.08.2023 तक देय	खसरा नं. 846 गांव -सददुल्लापुर परगना व तहसील-दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा उत्तर प्रदेश -203207	28-10-2023
2.	DRBLNOI00530168 and DRBLNOI00456789	कपिल शर्मा, मणि शर्मा, एमडीएमपी डीएम होम सोल्यूशन्स और रुचि शर्मा	17.08.2023 / रु. 56,80,915.62 /- 17.08.2023 तक देय	संपत्ति नं. सी-61 का मांग, मेन रोड चमन विहार, लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश -201102	30-10-2023
3.	DRHLDEL00490319	किरण पास व संतोष देवी	03.07.2023 / रु. 16,03,690.29 /- 03.07.2023 तक देय	डी-18 / 2, खसरा नं. 221 गांव - लोनी बाबा नगर कॉलोनी परगना व तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102	30-10-2023

दिनांक: 01.11.2023
स्थान: गाजियाबाद, उ.प्र.

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कारपोरेट कार्यालय : सेरेम आर्इटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, इटा तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411 014
शाखा कार्यालय : प्रथम तल मिलरटन बिल्डिंग, सिटी युनिन बैंक बोवडिंग आउटलेट के ऊपर, निकट माया बाजार, अजमेर रोड, किशनगढ़-308081 (राजस्थान)

वित्तीय आसिक्त का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा निम्नलिखित सूचना कर्जदार(री)/ सह-कर्जदार(री) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात् बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उक्त संपत्ति के एवज में दिए गए आवस्य ऋण(णी)/ऋण(णी) के मूलदान और उदाहरण प्रस्तुत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभूतिकरण में असफल रहे हैं और उक्त परिणामस्वरूप ऋण अनाजक आसि (एनपीए) हो गए हैं। तदनुसार उक्त वित्तीय आसिक्त का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) और उक्त नियमों के तहत सूचनाएं, उक्त के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि वे उक्त द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के तहत बकाया राशियों का भुगतान करें।

ऋण खाता संख्या/कर्जदार(री)/ सह-कर्जदार(री)/ गारंटर(री) का नाम तथा पता	प्रतिभूत/बैंक बचल आसि/प्रवर्तित की जाने वाली संपत्ति का पता	मांग सूचना तिथि और राशि
शाखा : किशनगढ़ (एलएन नंबर : H440SECN3082493 खाता H440SFRLL0322293)	निम्न वर्णितानुसार गैर-व्यक्तिगत संपत्ति के सभी अंश एवं अंश : ग्राम लखारिया, पंचायत समिति - डीडवाना, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान, भूमि क्षेत्रफल 336.00 वर्ग फीट, पुरव : राम प्रताप अचवाल का मकान, पश्चिम : निकल एवं रास्ता, उत्तर : मोती लाल, राम निवास टुबे की दुकान, दक्षिण : रामनगर, हजारी लाल का बाड़ा	19-10-2023 रु. 6,06,454/- (रुपये छह लाख षष्ठ हजार चार सौ पचास मात्र)

यह कब्र सूचना की केंबिकित तालिका हेतु उद्योग जा रहा है। उदाहरण कर्जदारों तथा/अथवा सह-कर्जदारों गारंटियों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आसिक्त का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति आसि/बैंक संपत्ति का कब्जा लेने हेतु आगे कानूनी (बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना) की जाएगी।

उदाहरण नामक पार्टियों को उपरोक्त संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हित सूचित नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, जिन पर कि बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 01-11-2023 स्थान : नागौर प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय, राजेन्द्र लोस और कोर्पोरेट कार्यालय, पूर्ण किरवई नगर, नई दिल्ली में हाउसकीपिंग और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए Government e-Marketplace (GeM) पर पात्र सेवा प्रदाताओं से निविदा आमंत्रित करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया GeM पोर्टल या बैंक की वेबसाइट <https://punjaband.sindbank.co.in/> पर जाएं।

सहायक महाप्रबंधक (परिसर)
दिनांक 01.11.2023

कम्प्लीट ऑटोमोबाइलस क. लि.

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाधताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनिमय, 2015 (सूचीकरण विनिमय, 2015) के विनिमय 29, 33, 47 तथा अन्य किसी भी विनिमय, यदि लागू है, के अनुपालन के तहत 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कंपनी के अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों सहित अन्य विषयों पर विचार करने एवं अनुमोदन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 8 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होगी।

कृते कम्प्लीट ऑटोमोबाइलस क. लि. हस्ता./- रवि अरोड़ा कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 31.10.2023

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

सर्कल ऑफिस: ईस्ट दिल्ली, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली

हमारी शाखाओं में लॉकरों के किराया बकाया हेतु नोटिस

कि पंजाब नैशनल बैंक ने अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से नीचे तालिका में ब्याजउत्पन्नित संबंधित लॉकर किरायेदारों को सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स (लॉकर) किराये पर दिए थे।

लॉकर किरायेदारों द्वारा किराया भुगतान नहीं किया है और उनके खिलाफ किराया का बकाया है। बैंक ने लॉकर किराये के बकाया अतिदेय के भुगतान हेतु संबंधित लॉकर किरायेदारों को तीन नोटिस जारी किए, किंतु अभी तक किराये का भुगतान नहीं किया गया है।

क्र.सं.	शाखा	हाइक का नाम	लॉकर नंबर
1	दिल्ली, सिविल लाइन्स	महेश चंद खंडेलवाल	AB01974
2	न्यू दरियागंज	गोरी शंकर	FF00399
3	बैंक स्ट्रीट	कपिलश्रीगारा रमेश धींगरा	AH00621
4	गुरुद्वारा रोड	तेजस्वी कुमार और साधना कामरा	AA00027
5	गुरुद्वारा रोड	इंदू बाला शर्मा	BD02545
6	गुरुद्वारा रोड	शीलासिंजा	BK03201
7	शाहदरा	विद्या	RR01119
8	शाहदरा	डीएन शर्मा और एल एन शर्मा	LL00628
9	कमलानगर	राज रानी पाठक	AG00529
10	कमलानगर	विलक राज मल्होत्रा	AJ01294
11	गौंधी नगर	विक्की शर्मा	OO01281
12	आरपी बाग	परमोद लांबा और सुधा	PP01289
13	आरपी बाग	हरदीप सिंह	FF00509
14	आरपी बाग	सुभाषिणी जैन	BB00176
15	न्यू रोहतक रोड	आंखल कौर बिंदा	AA00978
16	कृष्णा नगर	अमित भंडारी	AO02310
17	कृष्णा नगर	मोहिंदर पाल गुप्ता	AI01787
18	कृष्णा नगर	ऊषा रानी अरोरा	AJ01850
19	मॉल रोड	रावेल चौधरी	AO01111
20	मॉल रोड	मोहन अली	AW01756
21	प्रीत विहार	बिंदू कपूर	AB02156
22	प्रीत विहार	प्रदीप जैन आरती जैन	AD03205
23	शकरपुर	बसंत कुमार मिश्रा	DN00351
24	यमुना विहार	बी के शर्मा	BB00150
25	यमुना विहार	फतेह बहादुर सिंह	EE00373
26	मधुवन	साजिद हुसैन	HH00651
27	मधुवन	नाजनीन	CC00269
28	आनंद विहार	सुनील कुमार भारद्वाज	FF00374

लॉकर किरायेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त लॉकरों के किराये का भुगतान 30 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो किराया विलेख के खंड सं. 9 के अनुपालन में संबंधित लॉकर किरायेदार को हर्ज-खर्च पर लॉकर तोड़कर खोले जायेंगे और बैंक लॉकर की समस्त अंतर्वस्तुओं या इसके किसी भाग की सार्वजनिक अथवा निजी बिक्री द्वारा अपने देयों की वसूली करेगा। बैंक के देयों को पूरा कर दिए जाने के बाद शेष कोई राशि और/या लॉकर की अंतर्वस्तु बैंक द्वारा संबंधित लॉकर किरायेदार के पूर्ण जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर बैंक के अधिकार में रहे जायेंगे। ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि के बैंक देयों की वसूली के लिए अर्पणित होने पर लॉकर किरायेदार कमी के लिए देनदार होगा।

दिनांक: 01.11.2023, स्थान: दिल्ली सर्कल ऑफिस ईस्ट दिल्ली, पंजाब नैशनल बैंक

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (आईएसएफएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरीटाइजेशन एंड रिफरेंसिफिकेशन ऑफ फायनॉशियल असेट्स एंड एफोर्सेमेंट ऑफ सिस्कोरीटी इंस्ट्रूमेंट्स, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरीटी इंस्ट्रूमेंट्स (एफोर्सेमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पठते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार श्री जैलेंद्र, श्रीमती राजवंती, श्री संतोष कुमार और श्री पंकज को 11.06.2018 की सूचना में वर्णित के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOI000297778 की राशि रु. 25,39,502/- (रुपए पच्चीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ दो मात्र) और 11.06.2018 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिवाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा आईएसएफएल ने दिनांक 30.09.2021. के असाइमेंट करार द्वारा एआरसी ट्रस्ट - एमसी 439 के ट्रस्टी के रूप में एतद्वारा एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणों के अधिकार, लिफांक और इंस्ट्रूमेंट को सौंपा गया है। फिर, एआरसी ट्रस्ट - एमसी 439 के ट्रस्टी के रूप में एतद्वारा एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 25.08.2023 के असाइमेंट करार द्वारा एआरसीआईएल-सीपीएस- IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणों के अधिकार, लिफांक और इंस्ट्रूमेंट को सौंपा गया है।

धनाशु चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जना को सूचना दी जाती है कि, एआरसीआईएल-सीपीएस- IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरीटी इंस्ट्रूमेंट्स (एफोर्सेमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 26.10.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जना को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी रु. 25,39,502/- (रुपए पच्चीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ दो मात्र) 11.06.2018 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ एआरसीआईएल-सीपीएस- IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति(सौ) का विवरण

श्रीवीए बिल्ट अप प्रो होल्डिंग जना फ्लैट नं. 85-ए (लिफ्ट पुरिया माफित 25 स्के.मी.) पॉकेट -II में तल मंजिल पर, दो मंजिल, माद्रीपुर में स्थित, पश्चिम नगरी, नई दिल्ली-110063।

प्राधिकृत अधिकारी
एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एआरसीआईएल-सीपीएस- IV के ट्रस्टी के रूप में

SASf स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड

तीसरी मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूसी कॉम्प्लेक्स, कफे रोड, मुंबई-400 005। वेबसाइट: www.sasftrust.com

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम तौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटिदाताओं को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए एआरसीआईएल-सीपीएस-IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिफरेंसिफिकेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्राप्ति की गई थी, स्ट्रेस एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ), प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर नौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटिदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की ब